

साथालय सप्लायर अधिकारी जहाजपुर जिला गीरगढ

प्रमाणित की जायेगी कि यह प्रमाणित प्रमाण है **490**

प्रमाणित संख्या / **122514**

प्रमाणित करने के लिए अनियम-2021

दिनांक **29.11.2021**

उपनाम

श्री नवल किशोर / दिवनाथपत नाम

सरकार आरथ सहस्रीलदार
जहाजपुर जिला गीरगढ

:: आदेश ::

प्राची के द्वारा बुझनी प्रयोग पत्र और उसके साथ सहस्रीलदार दस्तावेज
पट्टाशे हल्का **490** नू अ डि **490** एवं मयम सहस्रीलदार
/सहस्रीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुमान अनुसार थजाश्यात नू राजसग अधिकार
1058 की धारा 136 के अनुसार नू नाम **490** नू **490**
की प्रयोग जमाबन्दी सम्यक **2013-76** के धारा सम्यक **426, 426**
प्राचीमम की प्रविष्टि **नवल कु दिवनाथपत**

के रूप में **नवल किशोर / दिवनाथपत**
उपरोक्त रिपोर्ट नू दस्तं करन कर कर
जायी गिया जात है। सदनुसार उपरोक्त रिपोर्ट नू अनल मन पातना प्रमाण की जात।

सहस्रीलदार अधिकारी
जहाजपुर जिला गीरगढ

प्रतिलिपि :-

1. सहस्रीलदार जहाजपुर जिला गीरगढ को भेजाकर लेता है कि कार्यवाही कर
रेकार्ड में अनल कर पातना प्रमाण कर।
2. प्राची श्री **नवल किशोर / दिवनाथपत**
3. दक्षिण भशावती

सहस्रीलदार अधिकारी
जहाजपुर जिला गीरगढ